

## अनुसूची

(अधिसूचना क्रमांक गोंद 2018-19/I दिनांक 25.09.2018)

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू)  
एवं गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम विक्रय की  
निविदा दिनांक 29.10.2018 से 01.11.2018 हेतु लाट सूची

जिला यूनियन / वन मंडल का नाम	गोंद वर्ग एक की विक्रय इकाई क्रमांक व नाम	अधिसूचित मात्रा (क्विंटल में)	इकाई के कार्य क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
<b>गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) (अधिसूचित मात्रा - प्रथम श्रेणी के समतुल्य)</b>			
प.भानुप्रतापपुर	1- प.भानुप्रतापपुर	20	संपूर्ण वनमंडल
सुकमा	2- सुकमा	20	संपूर्ण वनमंडल
बीजापुर	3- बीजापुर	20	संपूर्ण वनमंडल (इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
दंतेवाड़ा	4- दंतेवाड़ा	20	संपूर्ण वनमंडल
<b>योग:-</b>		<b>80</b>	
<b>गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) (अधिसूचित मात्रा - धावड़ा गोंद के समतुल्य)</b>			
बालोद	1- बालोद	20	संपूर्ण वनमंडल
प.भानुप्रतापपुर	2- प.भानुप्रतापपुर	25	संपूर्ण वनमंडल
जगदलपुर	3- जगदलपुर	25	संपूर्ण वनमंडल
बीजापुर	4- बीजापुर	20	संपूर्ण वनमंडल (इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
<b>योग:-</b>		<b>90</b>	

टीप :- किसी भी इकाई के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य में तथा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गोंद संग्रहण प्रतिबंधित है।



कार्यकारी संचालक (व्या. एवं वि.)  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर